[redacted]

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1 जिला SIW भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..........29../2023.....दिनांक................7/2/2023......

2. (I) अधिनियम ... धारायें:– 7, 7ए, व 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(II) अधिनियम ....धारायें ....
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....123 समय ......6:00 P.M.
(ब) अपराध घटने का वार..... सोमवार ..... दिनांक 23.01.2023 समय..............................
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 05.02.2023

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– लिखित

5. घटनास्थल :– कुचामनसिटी, नागौर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब पश्चिम दिशा में करीब 130 कि0मी0
(ब) पता........
..............................बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– श्री राममूर्ति जोशी, पुलिस अधीक्षक, नागौर।
(ब) पिता/पति का नामः–
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष............. ....
(द) राष्ट्रीयताः– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याः– जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसायः–भारतीय प्रशासनिक सेवा
(ल) पताः–

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1. श्री मनोज माचरा, पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना कुचामन सिटी, जिला नागौर हाल निलम्बित पुलिस लाईन जिला नागौर
2. श्री सोहन लाल हैड कानि. 1101, पुलिस थाना कुचामन सिटी, जिला नागौर हाल निलम्बित पुलिस लाईन नागौर
3. श्री हेमन्त जोशी, पत्रकार (दलाल)

8. परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... राशि 02.50 लाख रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को प्रेषित पत्रांक 5834–37 दिनांक 04.02.2023 मय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना की प्राथमिक जॉच रिपोर्ट में श्री मनोज माचरा, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी कुचामन सिटी, श्री सोहन लाल हैड कानि. 1101, थाना कुचामन सिटी तथा दलाल पत्रकार हेमन्त जोशी के विरूद्ध रिश्वत लेन–देन व अवैध परितोषण प्राप्त करने का अपराध पाये जाने पर उक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु अनुशंषा की। प्रकरण के संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि "दिनांक 01.02. 2023 को दैनिक नवज्योति कुचामन संस्करण में प्रकाशित खबर "गिरफ्तारी से बचने की कीमत ढाई लाख" चर्चा का विषय बना, चार लोगों के थाने से छूटने का मामला। उक्त मामले की जांच श्री विमल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीडवाना जिला नागौर द्वारा की गई। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीडवाना ने बाद जांच श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर को श्री मनोज माचरा, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी कुचामन सिटी, श्री सोहन लाल हैड कानि. 1101, थाना कुचामन सिटी तथा दलाल पत्रकार हेमन्त जोशी के विरूद्ध प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रेषित की। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के तथ्य निम्नप्रकार से है :–

श्री मनोज माचरा, निरीक्षक पुलिस, तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना कुचामन शहर व श्री सोहन लाल हैडकानि नं. 1101 जिला नागौर हाल निलम्बित पुलिस लाईन नागौर के विरूद्ध प्राथमिक जांच इस आशय की प्राप्त हुई कि "दिनांक 01.02.2023 को दैनिक नवज्योति कुचामन संस्करण में प्रकाशित खबर "गिरफ्तारी से बचने की कीमत ढाई लाख" चर्चा का विषय बना, चार लोगों के थाने से छूटने का मामला। अखबार कटिंग में वर्णित घटनाक्रम के संबंध में गोपनीय जांच/मालुमात कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कुचामन शहर से दूरभाष वार्ता की गई तो पाया गया कि प्रकरण संख्या 04 दिनांक 04.01.2023 धारा 420, 406, 120बी आई.पी.सी. पुलिस थाना कुचामन सिटी में दिनांक 23.01.2023 को अनुसंधान के लिए सभी आरोपियों को पुलिस थाना कुचामनसिटी पर बुलाया गया, जिस पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपी नरेश अग्रवाल, राधेश्याम झंवर व रामकिशोर सेवदा पुलिस थाना पर उपस्थित हुये। आरोपियों पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया तथा परिवादी से समझौता करने के लिए कहा गया, प्रकरण का परिवादी भी तत्समय थाने पर मौजूद था। उक्त के संबंध में फोटो सेशन के लिए थाने पर सभी पत्रकारों को बुलाया गया और आरोपियों को कहा गया कि आप प्रकरण में गिरफ्तार हो गये। जिस पर कुचामनसिटी के कुछ समाज सेवी लोग (ओमप्रकाश काबरा व कुछ पत्रकारों) ने आरोपीपक्ष की पैरवी की तो उनको गिरफ्तारी का हवाला दिया गया, फिर श्री मनोज माचरा पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना कुचामनसिटी एवं श्री सोहनलाल हैडकानि नं. 1101 पुलिस थाना कुचामनसिटी जिला नागौर तथा श्री हेमन्त पत्रकार कुचामन ने अलग से बात कर 03 लाख रूपयों में गिरफ्तारी नहीं करने की बात कही। जिस पर श्री हेमन्त पत्रकार पर 02.50 लाख रूपयों में उक्त मामला फाईनल कर दिया। तत्पश्चात आरोपी नरेश अग्रवाल ने सरपंच प्रतिनिधि रसाल श्री मनमोहन को पैसे की व्यवस्था करने हेतु फोन किया, तब सरपंच ने रमेश रुलानिया को फोन किया, बात फाईनल होने पर उक्त तीनों आरोपियों को थाने से 05 बजे फ्री किया गया। तब आरोपी नरेश अग्रवाल रमेश के शोरूम पर गया तथा 02.50 लाख रूपये लेकर पुलिस थाना कुचामनसिटी के सामने आया, फिर पुलिस थाना कुचामनसिटी के छोटे गेट के पास श्री सोहनलाल हैड कानि. को रूपये दिये, तब श्री हेमन्त वहां मौजूद था। श्री सोहनलाल हैड कानि. नं. 1101 पुलिस थाना कुचामनसिटी ने 02 लाख रूपये थाने के लिए रखे व 50 हजार रूपये श्री हेमन्त पत्रकार को, दिये। उक्त घटना की खबर अखबार में प्रकाशित होने से पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। अतः अखबार कटिंग दिनांक 01.02. 2023 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार उक्त घटनाक्रम में श्री मनोज माचरा, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी कुचामनसिटी व श्री सोहनलाल हैड कानि. नं. 1101 पुलिस थाना कुचामनसिटी द्वारा बरती गई गम्भीर लापरवाही एवं भ्रष्ट आचरण के संबंध में विस्तृत एवं गहन प्राथमिक जांच हेतु प्राप्त हुई।

दौराने प्राथमिक जांच श्री नरेश कुमार अग्रवाल, श्री राधेश्याम झंवर, श्री रामकिशोर सेवदा, श्री प्रभुराम पोषक, श्रीमती खातून, श्री बफाती अली रंगरेज, पत्रकार हेमराज पारीक, श्री विजय पारीक, श्री मुरारी लाल गौड़, गवाह श्री रमेश रूलानिया, श्री पंकज रूलानिया श्री ओमप्रकाश काबरा, प्रकरण संख्या 04/2023 पुलिस थाना कुचामन के मुस्तगीस श्री प्रभुराम व गवाह श्री सोहनराम, श्री मनमोहन दहिया, सरपंच प्रतिधिनि रसाल व दिनांक 23.01.2023 को पुलिस थाना कुचामन शहर पर डयूटी ऑफिसर श्री राजेन्द्र प्रसाद, हैडकानि, निगरानी पर तैनात कानि श्री सुखाराम, अर्जुनराम के कथन लेखबद्ध किये गये। थानाधिकारी पुलिस थाना कुचामन शहर से प्रकरण संख्या 04/2023 जुर्म धारा 420, 406, 120बी भा.द.स. पुलिस थाना कुचामन शहर की वर्तमान स्थिति सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट, दिनांक 23.01.2023 को पुलिस थाना कुचामन शहर पर उपस्थित मुलाजमानों की सूची, दिनांक 23.01.2023 को पुलिस थाना कुचामन शहर पर संतरी पहरा/निगरारी डयूटी मुलाजमानों के नाम की सूची दिनांक 23.01.23 को पुलिस थाना कुचामन शहर पर बंद हवालात रहे आरोपीगण/गैर सायलानों की सूची, दिनांक 23.01.2023 को पुलिस थाना कुचामन शहर पर आने वाले परिवादीगणों की सूची मय आगन्तुक रजिस्टर की फोटो प्रति दिनांक 23.01.2023 को रोजनामचाआम की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल जांच की गई। प्रकरण संख्या 04/2023 दर्ज होने के पश्चात कथित आरोपीगणों पर दबाव बनाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद आरोपीगणों के नाम व धारा लिखी पर्ची, जो श्री हेमन्त जोशी पत्रकार द्वारा प्रकरण के कथित आरोपी राधेश्याम को दी गई थी, जिसकी फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल जांच की गई। प्रकरण संख्या 04/2023 जुर्म धारा 420, 406, 120बी आई.पी.सी. की सी.सी.टी.एन.एस. पर अपलोड काउन्टर पत्रावली की प्रति प्राप्त कर शामिल जांच की गई।

अब तक की जांच बयान गवाह, जांच में प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि श्री प्रभुराम पुत्र पुसाराम चौधरी निवासी मिर्धा नगर, कुचामन शहर द्वारा दिनांक 04.01.2023 को पुलिस थाना कुचामन शहर पर श्रीमती मनीदेवी, श्रीमती हसमत, श्री हाजी मोहम्मद, श्रीमती खातून, प्रभूराम पोषक, श्रीमती सरजू देवी श्रीमती वंदना अग्रवाल, श्री रामकिशोर सेवदा, श्री

ओमप्रकाश, श्री राधेश्याम झवर व श्री गोविन्दराम के विरूद्ध प्रकरण संख्या 04/2023 जुर्म धारा 420, 406, 120बी आई.पी.सी. के तहत दर्ज करवाया गया। प्रकरण दर्ज होने के दो–तीन दिन बाद श्री हेमन्त जोशी पत्रकार द्वारा प्रकरण के कथित आरोपीगणों पर दबाव बनाने के लिए श्री राधेश्याम झंवर को सभी आरोपियों के नाम व प्रकरण की धारा एक पर्ची पर लिखकर दिया। दिनांक 20.01.2023 को थानाधिकारी कुचामन शहर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद आरोपीगणों को नोटिस अन्तर्गत धारा 41(ए) (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता जारी कर दिनांक 23.01.2023 को पुलिस थाना कुचामन शहर पर उपस्थित होने के लिए बीट कानि से तामिल करवाया गया। जिसकी पालना में श्री नरेश कुमार अग्रवाल, रामकिशोर सेवदा, राधेश्याम झंवर श्रीमती खातून, करीब 01–02 बजे के आस पास कुचामन शहर थाने पर आये, जहाँ पर उक्त प्रकरण का मुस्तगीस प्रभुराम पुत्र पुसाराम पहले से ही थाने पर उपस्थित था। बयानों से स्पष्ट है कि श्री मनोज माचरा, निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना कुचामन शहर द्वारा कथित आरोपीगण राधेश्याम झवर रामकिशोर सेवदा, नरेश अग्रवाल पर प्रकरण में गिरफ्तारी का भय दिखाकर दबाव बनाया। इसी दौरान कुचामन शहर के पत्रकार भी न्यूज कलेक्शन के लिए पुलिस थाना कुचामन शहर पर आये। कथित आरोपीगण राधेश्याम झंवर, रामकिशोर सेवदा, नरेश अग्रवाल द्वारा प्रकरण में गिरफ्तार करने की बात पत्रकारों को बतायी, क्योंकि उपरोक्त तीनों कथित आरोपीगण समाजसेवी एवं कुचामन विकास समिति के सदस्य होकर प्रतिष्ठित व्यक्ति होने से पत्रकार हेमराज पारीक, विजय पारीक व मुरारी गोड़ द्वारा थानाधिकारी कुचामन को उक्त तीनों कथित आरोपीगणों के बारे में बताया कि यह लोग शहर के प्रतिष्ठित व समाजसेवी है, आप इनको सुनों। प्रकरण में जांच करने के बाद यदि दोषी पाये जाते है तो पुनः थाने पर लाकर पेश कर देने की बात कही परन्तु थानाधिकारी पुलिस थाना कुचामन शहर द्वारा कथित आरोपीगण राधेश्याम झंवर, रामकिशोर सेवदा, नरेश अग्रवाल को गिरफ्तार करने का भय कारित कर दबाव बनाता रहा तथा करीब 4–5 घन्टे तक थाने पर बैठाये रखने के पश्चात दलाल हेमन्त जोशी पत्रकार के मार्फत गिरफ्तारी से बचाने के लिए ढाई लाख रूपयों लेने का सौदा तय कर कथित आरोपीगण राधेश्याम झंवर, रामकिशोर सेवदा, नरेश अग्रवाल को छोड़ा गया। प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी पुलिस थाना कुचामन शहर द्वारा आरोपीगणों को अनुसंधान में तलब करने हेतु जारी नोटिस का उल्लेख केस डायरी नम्बर 04 दिनांक 20.01.2023 में किया गया है, परन्तु दिनांक 23.01.2023 को पूछताछ करने का किसी भी केस डायरी में उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही थाने के रोजनामचा आम में उक्त कथित आरोपीगणों को पूछताछ हेतु आमद/रफत का इन्द्राज किया गया है तथा दिनांक 23.01.2023 तक प्रकरण में अनुसंधान अन्तिम निष्कर्ष भी अंकित नहीं है। दिनांक 23.01.2023 को दलाल हेमन्त जोशी पत्रकार के मार्फत लेन देन का सौदा तय कर कथित आरोपीगण राधेश्याम झंवर, रामकिशोर सेवदा, नरेश अग्रवाल को छोड़ने के पश्चात श्री नरेश अग्रवाल द्वारा सौदा में तय राशि ढाई लाख रूपये की व्यवस्था करने हेतु श्री मनमोहन दहिया, सरपंच प्रतिनिधि रसाल व अन्य से कहा कि मुझे ढाई लाख रूपये की आवश्यकता है, आप व्यवस्था करो। जिस पर तथाकथित आरोपी नरेश अग्रवाल रमेश रूलानिक के होण्डा शोरूम पर रूपये लेने गया। नरेश अग्रवाल द्वारा रूपयों की व्यवस्था करने के दौरान भी दलाल हेमन्त जोशी द्वारा बार–बार फोन कर ढाई लाख रूपये देने के लिए दबाव बनाता रहा जिस पर नरेश अग्रवाल ने कहा कि मैं रुपये लेने के लिए रूलानिया होण्डा शोरूम पर आया हुआ हूँ। थोड़ी देर में दलाल हेमन्त जोशी पत्रकार भी रुलानिया होण्डा शोरूम पर गया तथा नरेश अग्रवाल को रुलानिया होण्डा शोरूम से ढाई लाख रूपये लेकर दलाल हेमल जोशी पत्रकार के बताए अनुसार उसके साथ पुलिस थाना कुचामन शहर परिसर में जाकर हेमन्त जोशी पत्रकार के कहे अनुसार श्री सोहन लाल हैडकानि नम्बर 1101 पुलिस थाना कुचामन शहर को 02.50 लाख रूपये हेमन्त जोशी पत्रकार की मौजूदगी में दे दिये। श्री सोहन साल हैडकानि न 1101 द्वारा थाना परिसर में नरेश अग्रवाल से दलाल हेमन्त जोशी पत्रकार के मार्फत अवैध पारितोषिक ढाई लाख रूपये श्री मनोज माचरा, निरीक्षक पुलिस, तत्कालीन थानाधिकारी कुचामन शहर के लिए प्राप्त किया जाना पाया गया है।

उक्त प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि प्रकरण संख्या 04/2023 जुर्म धारा 420, 406, 120बी आई.पी.सी. पुलिस थाना कुचामन शहर में दिनांक 23.01.2023 को तथाकथित आरोपीगण श्री राधेश्याम झंवर, श्री रामकिशोर सेवदा, श्री नरेश अग्रवाल को श्री मनोज माचरा निरीक्षक पुलिस तत्कालीन थानाधिकारी कुचामन शहर द्वारा अनुसंधान के लिए बुलाया गया, जिस पर मध्यस्थ व्यक्ति (दलाल) हेमन्त जोशी पत्रकार के माध्यम से तथाकथित आरोपीगणों पर प्रकरण में गिरफ्तारी का भय कारित कर दबाव बनाकर थाने से छोड़ने के एवज में प्रकरण के तथाकथित आरोपी नरेश अग्रवाल से ढाई लाख रूपये का अवैध पारितोषिक मध्यस्थ व्यक्ति (दलाल) श्री हेमन्त जोशी पत्रकार के मार्फत श्री सोहनलाल हैडकानि. नं. 1101 –पुलिस थाना कुचामन शहर द्वारा श्री मनोज माचरा पुलिस निरीक्षक तत्कालीन थानाधिकारी

कुचामन शहर के लिए प्राप्त किया जाना पाया गया है। उक्त लोक सेवकों व दलाल श्री हेमन्त जोशी पत्रकार का उक्त कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आना व पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करना प्रारम्भिक जांच से प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण 1. श्री मनोज माचरा, पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना कुचामन सिटी, जिला नागौर 2. श्री सोहन लाल हैड कानि. 1101, पुलिस थाना कुचामन सिटी, जिला नागौर 3. श्री हेमन्त जोशी, पत्रकार (दलाल) के विरूद्ध धारा 7, 7ए, एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु प्रारूप प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
अपराध शाखा,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

दर्ज रहे कि जरिये डाक एक रिपोर्ट टाईप शुदा श्री राममूर्ति जोशी, पुलिस अधीक्षक, नागौर से उपरोक्तानुसार प्राप्त हुई जिसे अपराध शाखा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर में इन्द्राज किया गया। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगणों 1. श्री मनोज माचरा, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना कुचामन सिटी, जिला नागौर हाल निलम्बित, पुलिस लाईन जिला नागौर 2. श्री सोहन लाल हैड कानि. 1101 पुलिस थाना कुचामन सिटी, जिला नागौर हाल निलम्बित, पुलिस लाईन, जिला नागौर एवं 3. श्री हेमन्त जोशी, पत्रकार (दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 29/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश श्री हिमांशु कुलदीप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय को सुपुर्द की गई।

7.2.23

(योगेश दाधीच)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 218-25 दिनांक 7.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1, जोधपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सर्तकता), जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-अपराध शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय।

7.2.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।